

राज्य शिक्षा केन्द्र

विधि

शाखा

स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश

पृष्ठ क्रमांक 01

विषय डब्ल्यू.पी. 1303/2016 द्वारा श्री अनिल कुमार पिपलोटिया एवं अन्य विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में ओ.आई.सी. की नियुक्त करने के संबंध में।

विषय: न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 1303 / 2016 द्वारा श्री अनिल कुमार पिपलोटिया एवं अन्य विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में ओ.आई.सी. की नियुक्त करने के संबंध में।

विषयांतर्गत माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर से प्राप्त याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 1303/2016 द्वारा श्री अनिल कुमार पिपलोटिया एवं अन्य विरुद्ध म.प्र. शासन (संलग्न) का अवलोकन हो। याचिका जिला शिक्षा केन्द्र, जिला राजगढ़ से संबंधित है। प्रकरण जिला परियोजना समन्वयक, राजगढ़ को ओ.आई.सी. बनाया जाना उचित है। अतः ओ.आई.सी. आदेश नस्ती में नीचे रखकर हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत।

प्रकरण CAC से संबंधित है।

JD(P)

01 आदेश हस्ताक्षरित

6-3-16

अनिल कुमार पिपलोटिया

(देवप्रसाद)
संयुक्त संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, सी.पी.ए.

अनिल कुमार पिपलोटिया

अनिल कुमार पिपलोटिया

विधि

S. Dahim
09/03

(शीला दाहिम)
अपर निरीक्षक संभावना
राज्य शिक्षा केन्द्र
दीप्ति गौड़ मुकजी
आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र

dh
10/03

जा.क्र./2016/सतर्कता-विधि/न्याया/2016/982-93 दिनांक 14-3-16

0

राज्य शिक्षा केन्द्र

शाखा . . विधि.

स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश

पृष्ठ क्रमांक . ०२ . . .

विषय . W.P. . 1303/2016 द्वारा श्री इतिन कुमार पिपलोडिया एवं नस्ती क्र. विधि./2016/26

पूर्व पृष्ठ N/1 पर अनुमोदन अनुसार OLC आदेश जारी किया गया। प्रतिरक्षण आदेश हेतु नस्ती ~~विभाग~~ विधि

के संकेत करना चाहेगा।

JD(P) on tour

AMD(SD)

~~आयुक्त~~

विधि विभाग

14-3-16

S. Dahin

14/03

(श्रीला बाहिना)
अपर निदेशक संसाधन
राज्य शिक्षा केन्द्र

दीप्ति चक्र उपाय
आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र

1564/Com/2016

1503/16

7916
C.P.

रा

BY. RECD. A.D. POST

IN THE High Court of Judicature at Jabalpur: Bench at Indore

Process Id: 12161/2016

WP/1303/2016

From

Deputy Registrar,
High Court of Judicature
at Indore

TOP PRIORITY



For Admission and I.R.
Fixed for 04-03-2016
WP-DA-13
Respondent No. 2

To,

The Commissioner ,
Rajya Shiksha Kendra,
Pustak Bhawan, B-Wing, Arera Hills, Bhopal,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH) ,

Indore 24-02-2016

2947
26-02-16

CAK
-मल
OIC
D-8-C
21/02/16

Atty
sh
4/10/3

Sub: Notice to Respondent No. 2 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto)
No. **WP/ 1303/ 2016**

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Anil Kumar Piplotia** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/1303/2016**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **04-03-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided ex parte.



(AFFIXED AT INDORE)

Your's faithfully

24.02.16

DEPUTY REGISTRAR

कार्यालय, आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र

(स्कूल शिक्षा विभाग)

बी-विंग, पुस्तक भवन, भोपाल, म.प्र.

कं./रा.शि.के./सतर्कता-विधि/न्याया/2016/1992

भोपाल, दिनांक-14 मार्च 2016

आदेश

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का अधिनियम संख्या कं0 5 के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन तथा म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश कं0एफ-16/517/97/वि0प्र0/20, दिनांक 28.1.99 द्वारा आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्य प्रदेश को प्रत्यायोजित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिला परियोजना समन्वयक, राजगढ़ को न्यायालयीन प्रकरण कमांक 1303/2016 द्वारा श्री अनिल कुमार पिपलोटिया एवं अन्य विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी बनाया जाकर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवक्तों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने आवेदन करने और उपसंजात होने के लिए प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करते हैं। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्य प्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये निम्नलिखित कार्य करेगा:-

1. प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा जैसी कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना है, रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट रूप से की जाएगी।
2. समस्त सुसंगत फाइलें दस्तावेज नियम अधिसूचनाएँ तथा आदेश एकत्रित करेगा।
3. वाद-पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना हो एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
5. शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायेगा।
6. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-
 - (क) वाद-पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
 - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
 - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाइल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
 - (घ) मामले के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां। इसमें वाद की सुनवाई की तारीख वर्णित होनी चाहिए।
7. मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किए गए कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
8. जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्य प्रदेश राज्य के विरुद्ध धारित किया गया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
9. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्रवाई किए जाने के लिए इस विभाग को भेजना।
10. यह देखना कि आवेदन करने में क्या प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करें, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
11. जैसे ही उसे अपना स्थानान्तर आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाए।
12. प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपी हुई न रह जाए।

13. प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार ही करेगा। निर्णय की एक प्रत अभिप्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
14. प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी वाद प्रक्रम में पारित किए गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्रवाई की गई है। अतएव वह उस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जाए विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें।

L (दीप्ति मोड़ मुकजी)
आयुक्त

राज्य शिक्षा केन्द्र

मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक-14 मार्च 2016

पृष्ठं.कं./रा.शि.के./सतर्कता-विधि/न्याया./2016/1993
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
3. अति. महाअधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर को न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 1303/2016 द्वारा श्री अनिल कुमार पिपलोठिया एवं अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य के संबंध में सूचनार्थ।
4. जिला परियोजना समन्वयक, राजगढ़ की ओर पालनार्थ। कृपया नियत समय में जवाबदावा प्रस्तुत कर इस कार्यालय को अवगत करावें।
5. जिला परियोजना समन्वयक एवं नोडल अधिकारी, जिला शिक्षा केन्द्र, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।

L आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र
मध्यप्रदेश

%